<u>अति आवश्यक</u>

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाऐं

क्रमांकः–एफ 2( )अ.क.को./लेखा/आईसीडीएस / 7463-767 **जयपुर, दिनांक** 17/01/23

बाल विकास परियोजना अधिकारी
समेकित बाल विकास सेवाएं
समस्त।

विषयः–सामूहिक बचत एवं बीमा योजनान्तर्गत लाभान्वित मानदेयकर्मियों को समय पर भुगतान करवाने बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सामूहिक बचत एवं बीमा योजना अंतर्गत प्रायः यह देखा गया है कि लाभान्वित मानदेयकर्मियों की मृत्यु होने या सेवा से विमुक्त होन पर उनके द्वारा जमा कराई गयी राशि एवं बीमा राशि का भुगतान समय पर भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में समय समय पर आपको निर्देश जारी किये जाते रहे है, किंतु उक्त कार्यवाही नहीं की जा रही है। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप स्वंय के अधीन मानदेयकर्मियों जो सेवा से विमुक्त हो गये है अथवा जिनकी मृत्यु हो गयी है, के GSLI के भुगतान की प्रक्रिया भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय में व्यक्तिशः संपर्क कर पूर्ण करें। साथ ही बंद पड़ी पॉलिसियों को चालू करवाने हेतु कार्यवाही की जाएं। यदि भुगतान अथवा पॉलिसी चालू कराने में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो एलआईसी कार्यालय में व्यक्तिशः संपर्क करके कार्यवाही पूर्ण करें।

उक्त निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करावें अन्यथा स्थिति में आपकी व्यक्तिशः जिम्मेदारी तय करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान,जयपुर।

क्रमांकः–एफ 2( )अ.क.को./लेखा/आईसीडीएस/ 7768-803 **जयपुर, दिनांक** 17/01/23

प्रतिलिपि निम्न के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. उपनिदेशक समस्त को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीन परियोजना कार्यालयों को उक्त कार्यवाही के लिए पाबंद करें।
2. भारतीय जीवन बीमा निगम द्वितीय तल जीवन प्रकाश भवानी सिंह मार्ग जयपुर, राजस्थान।
3. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत्।

Signature valid
Digitally signed by Ramavatar Meena
Designation : Director
Date: 2023.01.13 18:04:58 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3048866